

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 97 / 2012
संस्थान दिनांक 14.03.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

गिरधारी पिता मांगीलाल कुशवाह, आयु 37 वर्ष
निवासी-ग्राम काकरिया (बुढावनपुरा)
तहसील ठीकरी, जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

//निर्णय //

(आज दिनांक 07.07.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 26 / 2012 अंतर्गत 294, 506 भा.द.सं. में दिनांक 14.03.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 21.02.2012 को समय शाम लगभग 6:30 बजे, ग्राम काकरिया खेत रास्ता फरियादी के खेत के पास फरियादी गोरीबाई को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित करने, फरियादी गोरीबाई को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 294, 506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण अभियोजन साक्षी अभियुक्त को जानते हैं। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी गोरीबाई ग्राम काकरिया की सरपंच है तथा वह घटना दिनांक 21.02.2012 को उसके खेत पर कपास बिनने के लिए गई थी तथा साथ में गॉव का तुलसीराम भी था। फरियादी द्वारा छः माह पूर्व गॉव में शराब मुक्ति अभियान चलाया था, इसी रंजिश को लेकर अभियुक्त गिरधारी ने फरियादी को लगभग 6:30 बजे

फरियादी के खेत रास्ते पर आया तथा फरियादी को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया देने लगा और कहा कि वह अपने पोते को उक्त बात मत बताना नहीं तो जान से खत्म कर देगा। पुलिस ने फरियादी गोरीबाई द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 26/2012 अंतर्गत धारा 294, 506 भाग-2 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी गोरीबाई की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। अभियुक्त गिरधारी को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 3 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था व अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी गोरीबाई, साक्षीगण सुखलाल, तुलसीराम व रतनबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूह एहमद खान, तत्कालिन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294 506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.02.2012 को समय शाम लगभग 6:30 बजे, ग्राम काकरिया खेत रास्ता फरियादी के खेत के पास फरियादी गोरीबाई को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी गोरीबाई को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभिप्रास कारित किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी गोरीबाई (अ.सा.1), सुखलाल (अ.सा.2), रतनबाई (अ.सा.3), तुलसीराम (अ.सा.4) एवं प्रधान आरक्षक आशीष पंडित के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारीय प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी गोरीबाई अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है। लगभग 1 वर्ष पूर्व शाम 6:30 बजे की घटना है। अभियुक्त गाँव में मदिरा का विक्रय करता था, तब उसने ग्रामसभा रखकर अभियुक्त की मदिरा का विक्रय बंद कराया था, लेकिन अभियुक्त ने मदिरा का विक्रय बंद नहीं किया था और उसे माँ-बहन की अश्लील गॉलिया दी थी, जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। उसने थाना ठीकरी पर प्रदर्शनी 1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शनी 2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि गाँव में एक ही व्यक्ति मदिरा का विक्रय करता था, जिसका अभियान उसने चलाया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि दित्या उसके खेत में काम करने वाला है तथा हीरालाल उसका खेत पड़ोसी है, वे दोनों वहाँ पर थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि मुन्नालाल की पुत्री सुनिल के साथ चली गई थी, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि उसने उसका समझौता करया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसके नौकर दितला को शराब पिलाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि अभियुक्त को उसने गालियाँ दी थी अथवा अभियुक्त ने उसे गॉलिया नहीं दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि चुनाव की रंजिश के कारण उसने अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराई थी अथवा वह असत्य कथन कर रही है।

8. सुखलाल असा 2 का कथन है कि 2 वर्ष पूर्व शाम 5:30 बजे उसने अपने पुत्र जितेन्द्र को खेत में गोरीबाई को लेने के लिए भेजा था, तब अभियुक्त वाद-विवाद कर रहा था और उसकी पत्नी खेत पर रो रही थी। साक्षी का यह भी कथन है कि फरियादी ने उसे बताया था कि जब वह खेत में काम कर रही थी, तब अभियुक्त खेत के किनारे से आया और उसके साथ गाली-गलोच की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी ग्राम काकरिया की सरपंच थी। साक्षी मुन्नालाल को पहचाना और उसकी पुत्री सुनिल के साथ जाने के मामले में उसके साथ समझौते का प्रयास करना भी स्वीकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उनके गाँव 4-6-8 व्यक्ति मदिरा बेचते हैं और ठेके की मदिरा का भी विक्रय होता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी के साथ थाने पर रिपोर्ट कराने गया था जहाँ उसकी पत्नी ने रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसकी पत्नी के साथ कोई गाली-गलोच नहीं की थी अथवा चुनावी रंजिश के कारण उन्होंने मिथ्या रिपोर्ट लिखाई है।

9. तुलसीराम असा 4 रतनबाई असा 3 ने भी अभियुक्त एवं फरियादी को पहचानने तथा खेत में काम करने के दौरान अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ विवाद करने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त साक्षियों ने न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछने जाने तुलसीराम असा 4 ने न्यायालय के समस्त सुझावों से इंकार किया है यहाँ तक कि पुलिस को प्रदर्शपी 3 का कथन देने से भी इंकार किया है। रतनबाई असा 3 ने स्वीकार किया कि गोरीबाई शाम को जब खेत से वापस आई तब अभियुक्त ने उसे खेत पर माँ-बहन की अश्लील गॉलिया दी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि गोरीबाई ने घटना के 6 माह में मदिरा बंदी का अभियान चलाया था, इसलिए अभियुक्त ने उसे आम रास्ते पर माँ-बहन की अश्लील गॉलिया दी थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि फरियादी उसकी सगी मामी है और उसने पुलिस को प्रदर्शपी 1 का कथन नहीं दिया था। संभवतः उक्त साक्षी रंजित हो जाने के कारण अभियोजन के समर्थन में सम्पूर्ण कथन करने के उपरांत भी पुलिस को प्रदर्शपी 1 का कथन नहीं देना बता रही है।

10. प्रधान आरक्षक आशीष पंडित असा 5 ने दिनांक 21.02.2012 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 26/12 की विवेचना के दौरान फरियादी गोरीबाई के बताये अनुसार घटनास्थल ग्राम काकरिया पहुँचकर प्रदर्शपी 2 को नक्शा मौका पंचनामा बनाया था। फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्त को उसने गिरफ्तार किया था। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय फरियादी ग्राम काकरिया की सरपंच थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि साक्षियों ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे अथवा उसने सरपंच के दबाव में आकर अभियुक्त के विरुद्ध असत्य विवेचना की है।

11. इस प्रकार फरियादी गोरीबाई स्वयं ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ अश्लील गॉली-गलोच करने और उक्त गॉलिया सुनकर उसको क्षोभ कारित करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं। शेष साक्षियों द्वारा भी फरियादी द्वारा सरपंच होने के नाते गाँव में शराब बंदी का प्रयास करने पर उसने फरियादी के साथ अश्लील गॉलिया देने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं, इसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। इस घटना की रिपोर्ट घटना के तत्काल बाद लगभग 3 घंटे के भीतर थाने पर दर्ज कराई गई तथा प्रदर्शपी 2 का नक्शा मौका पंचनामा विवेचना अधिकारी आशीष पंडित असा 5 ने बनाया है, जिसमें घटनास्थल आम रास्ता होना बताया गया है। एक महिला को सरपंच होने के नाते गाँव में शराब बंदी का प्रयास करने पर उसे लोक स्थान पर अश्लील गॉलिया देना भा.द.स. की धारा 294 के अपराध की परिभाषा में आता है, यद्यपि गोरीबाई अ.सा.1 ने न्यायालय कथन के दौरान अभियुक्त द्वारा दी गई गॉलियों का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में फरियादी ने अभियुक्त द्वारा लिखाई गई गॉलियों का स्पष्ट उल्लेख

किया है तथा न्यायालय कथन के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 की लिखाना और अभियुक्त द्वारा फरियादी को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया देने के स्पष्ट कथन किये हैं जिसका कोई भी खण्डन प्रतिपरीक्षण के दौरान नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में गाँव की महिला सरपंच को लोक स्थान पर माँ-बहन के अश्लील शब्द कहे जाने से अभियुक्त का उक्त कृत्य भा.द.स. की धारा 294 (ख) के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

12. अतः यह न्यायालय अभियुक्त गिरधारी पिता मांगीलाल, निवासी ग्राम काकरिया को भा.द.स. की धारा 294 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

विचारीय प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में

13. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में गोरीबाई असा 1 का केवल इतना कथन है कि उसने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा जान से खत्म करने की धमकी भी लिखाया था, लेकिन साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी से वह भयभीत हो गई थी अथवा उसे संत्रास कारित हुआ। शेष अभियोजन ने भी उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 506 भाग-2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

14. अतः अभियुक्त गिरधारी को भा.द.स. की धारा 506 भाग-2 के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

15. सजा के प्रश्न पर अभियुक्त एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया। उनका यह निवेदन है कि अभियुक्त की घटना के समय आयु 35 वर्ष थी। उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को परीविक्षा पर रिहा किया जाये।

16. यह सही है कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त को केवल भा.द.स की धारा 294 में दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें 3 माह के कारावास या जुर्माने का प्रावधान है। अभियुक्त की आयु घटना के समय लगभग 35 वर्ष की थी, जिसे देखते हुए अभियुक्त को कारावास से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को तत्काल सजा के देने के स्थान पर परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत होता है।

17. अतः आपराधिक परीविक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अनुसार यह आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त यदि अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, शांति बनाये रखेगा तथा 2 वर्ष तक सदाचारी बने रहने की शर्त पर रुपये 10 हजार का स्वयं का मुचलका पेश करे तो उसे परीविक्षा पर रिहा किया जाये। यदि अभियुक्त उक्त शर्तों का पालन नहीं करता तो वह न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होगा और दण्डादेश प्राप्त करेगा।
18. अभियुक्त को परीविक्षा पर रिहा करने की सूचना संबधित थाने की ओर भेजी जाये।
19. प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

